राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः एफ 1( )मबावि / आ.क.का / 05 / पार्ट–II / लेखा / 2016 80734-766 जयपुर, दिनांक 17.6.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
....(समस्त)

विषयः—आंगनबाडी कार्यकर्ताओं / सहायिका / सहयोगिती / साथिनों हेतु बीमा बचत योजना।
संदर्भ— प्रबन्धक (पे. एवं सं.बी.ई.) भारतीय जीवन बीमा निगम का पत्र दिनांक 31.05.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (GSLI) के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय ने अवगत कराया है कि निम्नलिखित आवयकताएँ पूर्ण करना सुनिश्चित करावें जिससे कि हम स्कीम में समय रहते बेहतर सुविधाएँ दे सके:—

1. यह पॉलिसी समूह बीमा योजना है अतः राशि व्यक्तिगत न भेजकर सामूहिक अंशदान मय सदस्य सूची भेजें।
2. सदस्यों की सूची मय एल.आई.सी., आई.डी के साथ भेजें (क्रम संख्या अनुसार)।
3. HST Form में भेजी गई राशि का Reconciliation के व हटाये गये सदस्यों का विवरण दें।
4. जिन सदस्यों की कटौती नहीं हुई है उनकी सूची मय आई.डी (LIC ID) भेजें, जिससे GAP डाले जा सके।
5. कृपया Treasury Voucher No. (T.V. No.) एवं दिनांक का अवश्य उल्लेख करे जिससे हमें प्राप्त राशि की पहचान सम्भव हो सके एवं उसकी डिपोजिट व समायोजन हो सके। राजकीय अंशदान की तिथि व वाउचर नम्बर दें।
6. विलम्ब शुल्क दर 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से देय है अतः विलम्ब होने पर ब्याज भिजवाएँ क्योकि हम आपकी पॉलिसी में प्रत्येक सदस्यों को देय तिथि से ही जमा राशि पर ब्याज देते है।
7. सदस्यों की सूची AKBY योजनान्तर्गत देय क्लेम के लिए भी आधार मानी जाएगी।

अतः उक्त योजना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 से 5 पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें। बिन्दु संख्या 6 के संबंध में विलम्ब होने पर देय ब्याज राशि की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करावें तथा इसकी वसूली संबंधित उत्तरदायी कार्मिक से की जावें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 1( )मबावि / आ.क.को / 05 / पार्ट–II / लेखा / 2016 80767-81072 जयपुर, दिनांक 17.6.16

प्रतिलिपिः

1. प्रबंधक (पें. एवं स.बी.ई), शाखा कार्यालय, पेंशन एवं समूह इकाई, द्वितीय तल, जीवन प्रकाश, भारतीय जीवन बीमा निगम, भवानी सिंह रोड जयपुर को संन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी ....(समस्त) को उपरोक्तनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार